

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //


अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/46 :: राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय पूर्व माध्य. शाला तिलकनगर बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर का संचालन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति तिलकनगर बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका क्रमांक-01 में दिये गये पदों को स्थानीय संसाधन/निधि से निर्मित करने हेतु जिला कलेक्टर को अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान करता है कि इन पदों पर होने वाले स्थापना व्यय (वेतन/भत्ते) आदि की पूर्ति जिले के उपलब्ध स्थानीय संसाधन/निधि से करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं दिया जावेगा।

तालिका क्रमांक-01

क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2.	व्याख्याता हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3.	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4.	व्याख्याता संस्कृत (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5.	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6.	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7.	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8.	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9.	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11.	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12.	कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13.	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14.	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) (अंग्रेजी माध्यम)	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15.	ग्रंथपाल	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17.	भृत्य	3	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18.	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19.	अंशकालीन सफाई कर्मचारी	1	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	
	योग	30		

2/ तालिका क्रमांक-1 के प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।



निरंतर.....

3/ इन स्कूलों में वर्तमान में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी भी अध्ययनरत है अतः शासकीय पूर्व माध्य. शाला तिलकनगर बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति तिलकनगर बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है :-

तालिका क्रमांक-02

क्र.	पदनाम	पदसंख्या
1.	प्रधान पाठक मा.शा.	1
2.	शिक्षक	6
3.	प्रधान पाठक प्राथ.शा.	1
4.	सहायक शिक्षक	6
5.	भृत्य	1
6.	अंशकालीन सफाईकर्मी	2
योग		17

4/ तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा पदस्थ एवं अंशकालीन सफाईकर्मी के वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। हिन्दी माध्यम के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर अन्य समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी, इनके वेतन भत्तों की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।


6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-20-00197 दिनांक 23.06.2022 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/46
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 24/06/2022

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/47 :: राज्य शासन एतद् द्वारा लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर का संचालन लाल बहादुर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका क्रमांक-01 में दिये गये पदों को स्थानीय संसाधन/निधि से निर्मित करने हेतु जिला कलेक्टर को अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान करता है कि इन पदों पर होने वाले स्थापना व्यय (वेतन/भत्ते) आदि की पूर्ति जिले के उपलब्ध स्थानीय संसाधन/निधि से करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं दिया जावेगा।

तालिका क्रमांक-01

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2.	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3.	व्याख्याता संस्कृत (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4.	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5.	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6.	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7.	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8.	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9.	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11.	कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12.	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13.	ग्रंथपाल	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
योग		20		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हे प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ इन स्कूलों में वर्तमान में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी भी अध्ययनरत है अतः लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को लाल बहादुर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है :-



निरंतर.....

तालिका क्रमांक-02

क.	पदनाम	पदसंख्या
1.	प्राचार्य	1
2.	व्याख्याता	11
3.	प्रधान पाठक (पूर्व माध्य. शाला)	1
4.	शिक्षक	6
5.	व्यायाम शिक्षक	1
6.	प्रधान पाठक (प्राथ. शाला)	1
7.	सहायक शिक्षक	6
8.	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
9.	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
10.	सहायक ग्रेड 03	1
11.	भृत्य	5
12.	चौकीदार	1
13.	अंशकालीन सफाईकर्मी	3
योग:-		41

4/ तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा पदस्थ एवं अंशकालीन सफाईकर्मी के वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। हिन्दी माध्यम के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर अन्य समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी, इनके वेतन भत्तों की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-20-00197 दिनांक 23.06.2022 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/47
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 24/06/2022

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
 2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
 4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
 6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
 7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
 8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
 9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/48 :: राज्य शासन एतद् द्वारा अम्बेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर का संचालन अम्बेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका क्रमांक-01 में दिये गये पदों को स्थानीय संसाधन/निधि से निर्मित करने हेतु जिला कलेक्टर को अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान करता है कि इन पदों पर होने वाले स्थापना व्यय (वेतन/भत्ते) आदि की पूर्ति जिले के उपलब्ध स्थानीय संसाधन/निधि से करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए राज्य शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं दिया जावेगा।

तालिका क्रमांक-01

क.	पदनाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	व्याख्याता हिन्दी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
2.	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3.	व्याख्याता संस्कृत (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4.	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5.	व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6.	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7.	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9..	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	कम्प्यूटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11.	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12.	ग्रंथपाल	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
योग		19		

2/ तालिका क्रमांक-1 के पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहे थे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

3/ इन स्कूलों में वर्तमान में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी भी अध्ययनरत है अतः अम्बेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर में हिन्दी माध्यम हेतु तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पूर्व से स्वीकृत पदों को अम्बेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति बिलासपुर, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को अंतरित करता है :-



तालिका क्रमांक-02

क्र.	पदनाम	पदसंख्या
1.	प्राचार्य	1
2.	व्याख्याता	11
3.	प्रधान पाठक (पूर्व माध्य. शाला)	1
4.	शिक्षक	10
5.	प्रधान पाठक (प्राथ. शाला)	1
6.	सहायक शिक्षक	6
7.	सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला)	3
8.	लेखापाल/सहायक ग्रेड 02	1
9.	सहायक ग्रेड 03	1
10.	भृत्य	5
11.	चौकीदार	1
12.	अंशकालीन सफाईकर्मी	3
योग		44

4/ तालिका क्रमांक-02 में दिये गये पदों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा पदस्थ एवं अंशकालीन सफाईकर्मी के वेतन/भत्तों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। हिन्दी माध्यम के अंशकालीन सफाईकर्मी के पद को छोड़कर अन्य समस्त पदों पर केवल स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ही पदस्थापना की जायेगी, इनके वेतन भत्तों की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। इन पदों पर समिति द्वारा सीधी भर्ती अथवा संविदा नियुक्ति नहीं की जायेगी।

5/ अंशकालीन सफाईकर्मी हेतु वहीं नियम लागू होंगे जो स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व से प्रचलित है।

6/ इस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हिन्दी माध्यम के शिक्षकों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का परीक्षण किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने पर उनसे इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने की सहमति मांगी जायेगी जो शिक्षक/कर्मचारी उपयुक्त पाये जायेंगे तथा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति देंगे उन्हें इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर रखने का प्रस्ताव संचालक लोक शिक्षण को 3 दिवस के भीतर भेजा जाये। उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न दिये जाने की स्थिति में उनका अन्यत्र स्थानांतरण का प्रस्ताव 3 दिवस में भेजा जाये और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अन्य शालाओं के अन्य शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाये।

7/ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम से विद्यालय संचालित किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दो पालियों में विद्यालय का संचालन किया जा सकेगा। हिन्दी माध्यम में छात्रों के प्रवेश संख्या में कोई बंधन नहीं रहेगा, आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

8/ प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते लागू होंगे जो उनके मूल विभाग में लागू होंगे तथा उन पर राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति प्रावधान भी लागू होंगे।

9/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-20-00197 दिनांक 23.06.2022 द्वारा दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(पुलक भट्टाचार्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 23-08/2020/20-दो/48
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 24/06/2022

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ.ग. शासन कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. कलेक्टर जिला छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शाला एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग